संशोधन आदेश

संख्या-153/2026/I/1452563/2026-68-5099/132/2026

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषयः **परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12) (वि0ख0- बल्देव, ग्राम- नेरा बांगर, तहसील- महावन) जनपद मथुरा (द्वितीय तहसील) के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-135/2026/I/1434561/2026-68-5099/132/2026 दिनांक 17.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12) (वि0ख0- बल्देव, ग्राम- नेरा बांगर, तहसील- महावन) जनपद मथुरा (द्वितीय तहसील) के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित लागत रू0 2478.93 लाख (रुपये चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख तिरानबे हजार मात्र) (18% जी.एस.टी. सहित) की धनराशि को व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1239.465 लाख (रूपये बारह करोड़ उनतालीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किए जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना के संबंध में FINRMS पर प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1239.46 लाख (रूपये बारह करोड़ उनतालीस लाख छियालीस हजार मात्र) प्रदर्शित हो रही है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या-135/2026/I/1434561/2026-68-5099/132/2026 दिनांक 17.08.2026 के प्रस्तर 2 में उल्लिखित प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1239.465 लाख (रूपये बारह करोड़ उनतालीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ मात्र) को धनराशि रू0 1239.46 लाख (रूपये बारह करोड़ उनतालीस लाख छियालीस हजार मात्र) पढ़ा एवं समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 17.08.2026 के शेष प्रस्तर, शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, जनपद-मथुरा।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जनपद- मथुरा।
8- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद-मथुरा।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3, उ0प्र0 शासन।
12- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।